"उत्तराखंड के सीमान्त जनपद चमोली के ग्रामीण रोज़गार में मनेरगा की भूमिका का अध्ययन"

(Uttarakahnd ke Simant Janpad Chamoli ke Gramin Rozgar me Manrega ke Bumika ka adahyaan)

डॉ0 ऊषा पंत जोशी (एसो0प्रो0) अर्थशास्त्र विभाग एम.जी.पी.जी. कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल

सारांश

भारत को गावों का देश कहा जाता है,यहाँ की कुल जनसंख्या का 68: प्रतिशत लोग गावों में निवास करते है ग्रामीण भारत में रोजगार के सिमित साधन, परंपरागत कृषि प्रणाली एवम रूढ़िवादिता कई ऐसे कारक है जो ग्रामीण समाज में उपभोग , बचत के स्तर के साथ साथ रोजगार उतपन्न करने में भी एक अवरोध उत्तपन्न करता है, ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए वे वैशवीकरण के दौर में मानव के सामाजिक वातावरण में अभुत्ववपूर्ण परिवर्तन घटित हुए .इन परिवर्तनों से ग्रामीण संस्कृति,समाज भी अछूता नहीं रहा .एक ओर ग्रामीण लोगो का शहरों व् महानगरों की और प्रवास बढ़ा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों को कृषि बागवानी का सिमित दायरा होने के कारन आजीविका का संकट भी घेरने लगा . इन्ही कठिनाइयों के निवारण एवं ग्रामीण विकास व् रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देशय से भारत सरकार ने 2फरवरी 2006 को भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का शुभारम्भ किया गया. 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा

(महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गयाा प्रस्तुत अध्धय्यन में हम जनपद चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मनरेगा स्वरोजगारियों को एक वर्ष में कार्यदिवस ,बेरोजगारी भत्ता , आय, जीवन स्तर एवं काम की प्राप्ति (गावं या गावं से बाहर) और ग्रामीण विकास जैसे प्रकरणों का अध्धयन करेंगे.

आदि काल से ही ग्रामीण समाज विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का केन्द्र रहा है। वैश्विकरण के दौर मे ंमानव के सामाजिक ेवातावरण में जो प्ररिवर्तन हो रहा है उससे ग्रामीण संस्कृति भी अछूति नहीं है। एक और आत व्यक्ति शिक्षा, स्वाथय और रोजगार की प्राप्ति के लिए शहरों की ओर प्रवास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार गाँवों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ग्रामीण

विकास व ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता के स्तर को बढ़ाकर इस समाजिक बीमारी को रोका जा सकता है। भारत में 1970 से है ग्रामीण गरीब जनता[1] के लिए बहुत से कार्यक्रम जैसे–लघु किसान एजेंसी सीमान्त किसान व खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये। परन्तु इन योजनाओं में दीर्घकाल तक रोजगार प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को आवश्यकता महसूस की गयी, जो न केवल देशव्यापी हो व बल्कि ग्रामीण गरीबी को बदलने से रोक सके। इस वृहद सामाजिक समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (International Rural Development Programme) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, (National Rural Employment Programme) तथा ग्रामीण खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Gaurantee Programme) 15 अगस्त, 1983 चालू किये गये।1989 में भारत सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण वृहद रोजगार योजना जवाहर रोजगार के नाम से शुरू की गयी।[2]

ग्रामीण बेरोजगारों को भूख और गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने 07 सितम्बर, 2005 को एक अधिसूचना जारी की, तत्पश्चात् इस महत्वकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का शुभारम्भ 02 फरवरी, 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया। 02 अक्टूबर, 2009 को 'नरेगा' का नाम परिवर्तित करके 'मनरेगा' कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार कार्ड धारक को वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाता है। जिसमें गाँव में स्थाई परिसम्पत्तियों व बुनियादी संरचना का निर्माण किया जाता है। भारत में ग्रामीण निर्धनता की अनुमान लगाने के लिए सबसे पहला व्यापक सर्वेक्षण सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना (2011) की गयी, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2015 में जारी की गयी। इसमें गरीब परिवारों की आय व परिसम्पत्ति के आधार पर परिभाषित किया गया और पाया गया कि देश में 27 करोड़, 50 लाख लोग अभाव में जीवन जी रहे हैं। वर्ष 2012–13 में 'मनरेगा' के अन्तर्गत 41965919 लोगों ने रोजगार की मांग की जबकि 41570020 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।[3] वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड में 251161 लोगों ने रोजगार की मांग की, जबकि 247888 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। यहाँ महिलाओं का मनरेगा में भागीदारी 44.17 प्रतिशत व अनुसूचित जाति की 22.03 प्रतिशत थी। वित्तीय 2012–13 में जनपद चमोली के 09 विकास खण्डों में मनरेगा के अन्तर्गत 70365 परिवार पंजीकृत थे, जबकि 55059 परिवारों को 2177000.00 मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2016 मे वैश्विक भूख सूचकांक में 118 देशों में भारत का 97वां स्थान था।[4] अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलका, नेपाल एवं चीन की स्थिति भारत से बेहतर थी। वहीं दूसरी ओर नाइजर, चाड, इथोपिया औंर सियरालियोन की स्थिति भारत से खराब थी।

भारत को गाँवों का देश कहा जाता है, यहाँ की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत लोग गाँवों मे निवास करते हैं। ग्रामीण भारत मे रोजगार के सीमित साधन, परम्परागत, कृषि प्रणाली एवं रूड़िवादिता कई ऐसे कारक हैं, जो ग्रामीण समाज में उपभोग, बचत के स्तर के साथ–साथ रोजगार उत्पन्न करने में भी एक अवरोध उत्पन्न करता है। 2013 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गाँवों में

832980129 लोग गरीब थे। जो कुल ग्रामीण जनसंख्या का 25 प्रतिशत है। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए 2 फरवरी 2006 को भारत सरकार ने आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिला से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का शुभारम्भ किया गया। 02 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। यदि 100 दिन का रोजगार देने में सरकार असफल रहती है तो इस स्थिति में स्वरोजगारि को रोजगार भत्ता दिया जायेगा। वहीं भुगतान की समय सारणी के अनुसार काम समाप्त होने के बाद 15 दिन के अन्तर्गत भुगतान होना भी योजना की प्राथमिकता है, परन्तु इन सबके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण देखा गया है कि नहीं स्वरोजगारियों को 100 दिन का रोजगार मिला, और नहीं बेरोजगारी भत्ता मिला। भुगतान मे ंविलम्ब होना तो एक ग्रामीण सामाजिक बीमारी प्रतीत हो रही है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन मे ंहम जनपद चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मनरेगा स्वरोजगारियों के एक वर्ष में कार्यदिवस, बेरोजगारी भत्ता, आय, जीवन स्तर एवं काम की प्राप्ति (गाँव या गाँव से बाहर) और ग्रामीण विकास जैसे प्रकरणों का अध्ययन करेगें। वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद चमोली में मनरेगा के तहत कुल 7769 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनमें से 3282 कार्य प्रगति पर थे जबकि 4487 कार्य पूर्ण किये गये[5]। यहां के कार्य स्वरोजगारियो के कार्य दिवस, जॉब कार्ड धारको की संख्या व कुल धनराशि का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या 1.0

जनपद चमोली में मनरेगा का विवरण (वर्ष 2012–13)

1.	ग्राम पंचायतों की संख्या	601
2.	पंजीकृत श्रमिक	110695
3.	पंजीकृत परिवार	70365
4.	निर्गत जॉब कार्ड धारकों की संख्या	70365
5.	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	55059
6.	रोजगार प्रदान परिवारों की संख्या	55059
7.	100 दिन का रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या	5616
8.	उपलब्ध धनराशि	4571.85 लाख रू.
9	व्यय राशि	4203.16 लाख रू.
10	अवशेष	368.69 लाख रू.

11	रोजगार सृजन (लाख मानव दिवस में)	21.77

स्रोत : मुख्य विकास अधिकारी चमोली गोपेश्वर, वर्ष 2013 की मनरेगा की प्रगति रिर्पोट

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद चमोली में मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 4571.85 लाख रूपये उपलब्ध हुए थे जबकि उक्त वर्ष में 4203.16 लाख रूपये ही व्यय किये गये, तथा यहां 21.77 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। जनपद चमोली में इस योजना के अन्तर्गत कुल 110695 श्रमिकों ने 4487 काम पूरे किये तथा 5616 परिवारों को मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ था।[6]

भारत के सभी विचारक, समाजशास्त्री व राजनीतिज्ञ यह मानते है कि तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है।[7] मनरेगा का मात्रात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत हम जनपद चमोली में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों में किये गये व्यय तथा लोकपाल द्वारा वसूल किये गये अर्थदण्ड एवं 4 विकासखण्डों के चयनित 12 गाँवों में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति (आय), कार्य दिवस व दैनिक समय सारणी का आध्ययन करेंगे।

तालिका संख्या 1.1 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत सर्वाधिक काम देवाल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सवाड़ में (62) काम हुए हैं वहीं विकासखण्ड जोशीमठ के उर्गम ग्राम पंचायत में (35), दशोली विकासखण्ड में (39) व कर्णप्रयाग विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सुनाली में कुल (26) कार्य हुए हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 में ही सुनला ग्राम पंचायत में सबसे कम (8) काम एवं लोंसरी में (15) काम किये गये हैं। एक देश का भौगोलिक वातावरण उस देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।[8]

तालिका संख्या 1.1

जनपद चमोली के चयनित ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायतों के नाम	किये गये कार्यों की संख्या
1	ढाक	18
2	उर्गम	35
3	लंगसी	16
4	ग्वाड़	17
5	कठोड़	39
6	मासों	23
7	सिलंगी	16
8	सोनला	8
9	सुनाली	26
10	पदमला	26
11	सवाड़	62
12	लोंसरी	15
	कुल 12 ग्राम पंचायत	301

स्रोत : narega.ac.in

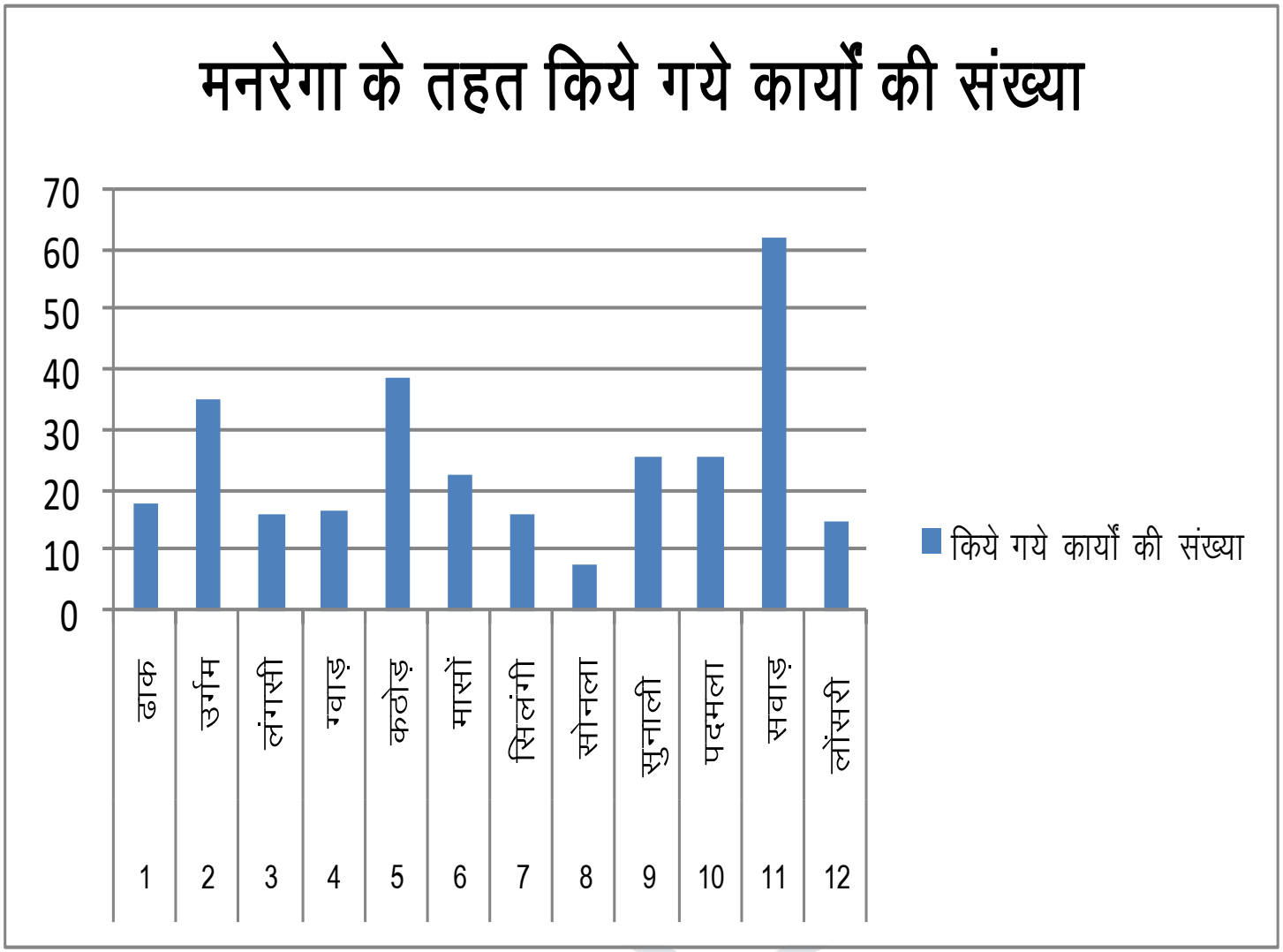

(ii) जनपद चमोली के सर्वेक्षित 4 विकास खण्डों में सर्वेक्षित स्वरोजगारियों की मासिक आय को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्या 1.2

जनपद चमोली के सर्वेक्षित 4 विकास खण्डों में सर्वेक्षित स्वरोजगारियों की मासिक आय

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	सर्वेक्षित स्वरोजगारियों की संख्या	मासिक आय (रू0 में)	औसतन प्रति व्यक्ति मासिक आय (रू0 में)
1	जोशीमठ	66	100300	1519.69
2	दशोली	56	93200	1664.29
3	कर्णप्रयाग	40	70000	1750
4	देवाल	60	93500	1558.33

स्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद चमोली के सर्वेक्षित 4 विकास खण्ड़ों में कर्णप्रयाग के स्वरोजगारियों की औसतन प्रति व्यक्ति मासिक आय सबसे अधिक (रू0 1750), वहीं दूसरी ओर विकास खण्ड जोशीमठ के स्वरोजगारियों की औसतन प्रति व्यकित आय सबसे कम (रू01519) है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने पर पूँजी उत्पाद अनुपाद कम होगा।

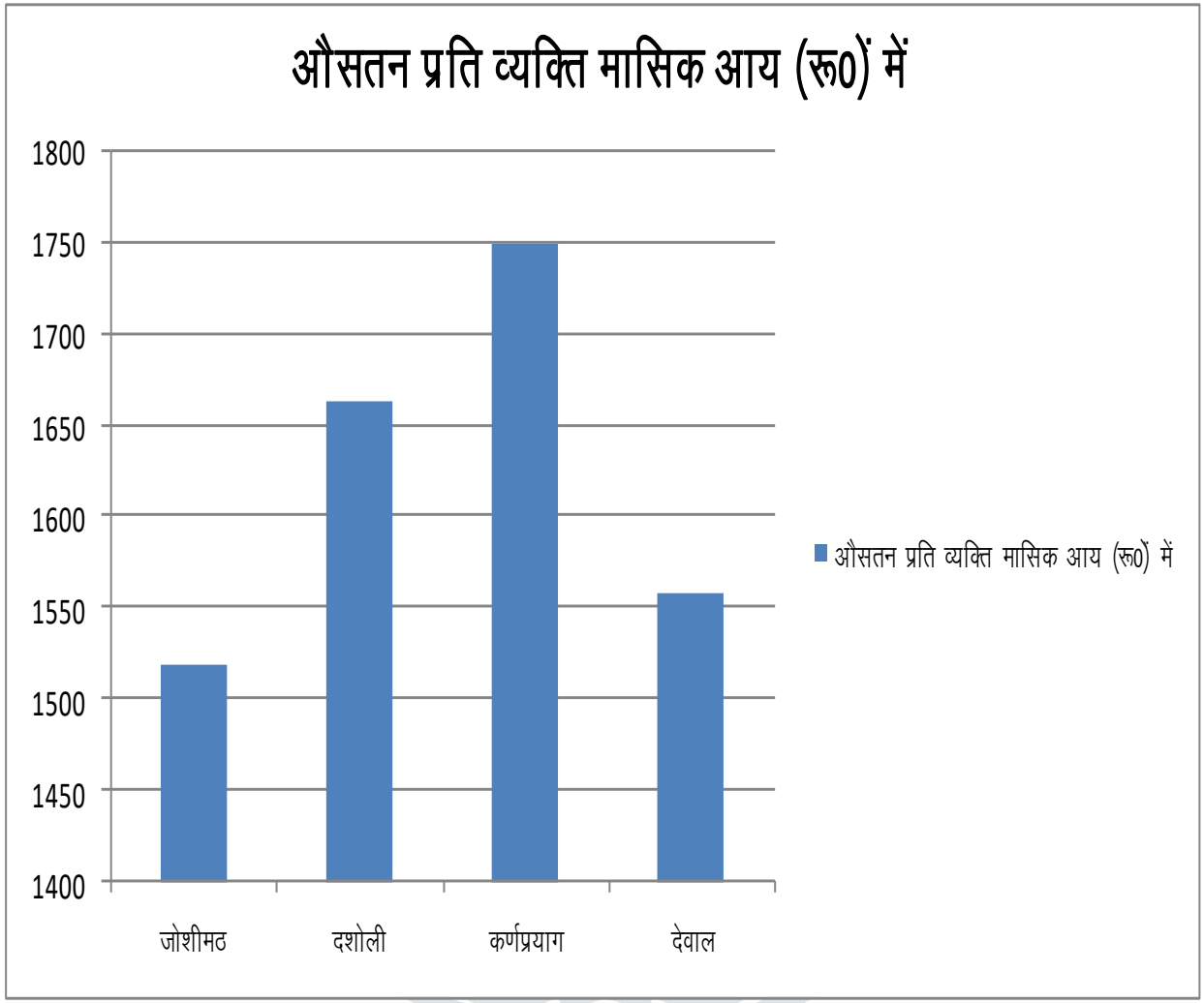

जनपद चमोली के विभिन्न विकास खण्ड़ों के कार्य दिवसों में अन्तर

जनपद चमोली के सर्वेक्षित 4 विकास खण्ड़ों में स्वरोजगारियों के कार्यदिवस का अध्ययन करने पर अलग–अलग विकास खण्ड़ों में स्वरोजगारियों के कार्य दिवस में अन्तर पाया गया।

तालिका संख्या 1.3

जनपद चमोली के विभिन्न विकास खण्ड़ों के कार्य दिवसों में अन्तर

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	सर्वेक्षित स्वरोजगारियों की संख्या	कार्य दिवस	औसतन प्रति व्यक्ति कार्य दिवस
1	जोशीमठ	66	3622	54
2	दशोली	56	3490	62.32
3	कर्णप्रयाग	40	2608	65.2
4	देवाल	60	3876	64.6

स्रोत–प्राथमिक समंक

उपरोक्त तालिका के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के सर्वेक्षित स्वरोजगारियों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्वाधिक 65.2 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ है। जबकि विकास खण्ड जोशीमठ में औसतन एक स्वरोजगारी को 54 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ है। विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाना चाहिए।

तालिका संख्या 1.4

जनपद चमोली मनरेगा योजना के अन्तर्गत फरवरी 2017 से पूर्व में किये गये कार्यों का विवरण

शिकायतों की संख्या	आवश्यक सुनवाई उपरान्त निस्तारित शिकायतों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष शिकायतों की संख्या	अनियमिता पाये जाने सम्बन्धि प्रकरणों में निर्धारित की गयी वसूली की कुल धनराशि	निर्धारित वसूली की सापेक्ष वसूल की गयी कुल धनराशि	मनरेगा कार्यों में लापरवाही बरती जाने पर निर्धारित अर्थदण्ड की धनराशि	निर्धारित अर्थदण्ड के सापेक्ष वसूल की गयी धनराशि
114	110	4	736776	702242.00	60000	49000

स्रोतः– जिला लोकपाल अधिकारी गोपेश्वर, चमोली

जनपद चमोली के लोकपाल की दिनाँक 21 जुलाई 2017 की रिर्पोट के अनुसार अब तक कुल 114 सिकायतें दर्ज की गयी थी, जबकि केवल 4 शिकायतों का ही निस्तारण किया गये।[9] जनपद में मनरेगा कार्यों में लापरवाही बरती जाने पर निर्धारित अर्थदण्ड रू0 60000 था, लेकिन

कुल रू0 49000 अर्थदण्ड ही वसूल किया गया।[10] भारत सरकार ने 15 अक्टूबर, 1999 को श्री रविन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया।[11] इस आयोग की स्थापना के लिए सरकार ने प्रस्ताव में यह विचार प्रकट किया कि अर्थ व्यवस्था के वैश्वीकरण व्यापार एवं उद्योग के उदारीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न वातावरण को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग से यह आग्रह किया गया कि वह श्रम संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चत करने के लिए एक न्यूनत्तम स्तर की आवश्यकता को ध्यान मे रखेगा, तथा काम के घंटों के सम्बन्ध में आयोग ने दिन में 9 घंटे व सप्ताह में 48 घंटे तक काम करने की एवं श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने की संस्तुति की। मनरेगा एक कानूनी व्यवस्था है इसके अन्तर्गत दैनिक काम करने का समय (घण्टे) निश्चित होते हैं। जनपद चमोली के 4 विकास खण्ड़ों में सर्वेक्षित 222 स्वरोजगारियों ने मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सन्दर्भ में एक ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980–85 ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि ''रोजगार के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही अधिक असंतोषजनक है।'' भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सहभागिता कम है[12]। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में हमारी सरकार को आवश्यक है कि वे उपरोक्त सुझावों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें, ताकि ग्रामीण समाज में आर्थिक विषमता दूर हो सके और कम उपभोग वाले परिवारों में उपभोग का स्तर बढ़ सके। जिससे कुपोषण जैसी सामाजिक बीमारी का अन्त हो सके, नहीं तो ग्रामीण विकास की अवधारणा एक कल्पना मात्र ही रह जायेगी।

सन्दर्भ सूची :

1. पुरी.बी.के. और मिश्र एस. के. (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिकेशन्स पृ.सं. 190
2. प्ड्पकण पृ.सं. 191
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय की पत्रिका 2012–13
4. अमर उजाला, 23 दिसम्बर, 2007 पृ0सं0 15।
5. मनरेगा सेल गोपेश्वर की मनरेगा समीक्षा रिपोर्ट 2014 ।
6. Ibid
7. चन्द्र एस. आर्थिक विकास एवं नियोजन, पृ.सं. 467, एस.चन्द एवं कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, पृ.सं. 467।
8. के.सिंह एस., (2004), लोक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ संख्या 49 ।
9. लोकपाल गोपेश्वर चमोली, रावत शेखर।
10- Ibid.
11. कुमार विनय (2004), जनानंकी, साहित्य भवन पब्लिशर्स, आमरा, संस्करण 2004, पृ.सं. 464 ।
12. पाल राजेश (2017), आर्थिक विकास में महिलाओं के रोजगार पर प्रभाव (1991 के उपरान्त) शोध प्रबन्ध, पृष्ठ संख्या 83 ।